कठिनाईयों से भरी राह

लेखक - एम.के. नारायणन (पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) एवं III (आंतरिक सुरक्षा) से संबंधित है।

द हिन्दू

21 अगस्त, 2019

"कश्मीर में विद्रोह और प्रतिकूल वैश्विक राय अपेक्षित हैं; लेकिन नीति निर्माताओं को दुनिया में इसी तरह की घटित हुई घटनाओं से सीखना चाहिए।"

जल्दबाजी में लिए गये फैसलों की एक श्रृंखला में, नई दिल्ली ने जम्मू, कश्मीर और लद्दाख की रूपरेखा को प्रभावी ढंग से बदलते हुए कुछ नए नियम निर्धारित किए हैं। 5 से 7 अगस्त के बीच संसद ने कई प्रस्ताव पारित किए थे; जिसमें जम्मू और कश्मीर (J - K) की विशेष स्थिति और अनुच्छेद-35A को खत्म करना; जम्मू और कश्मीर को भारतीय संघ के एक विशेष राज्य के रूप में समाप्त करना और दो अलग-अलग केंद्रशासित प्रदेशों के रूप में बदलना शामिल था। हालांकि, इन प्रावधानों का संसद के दोनों सदनों ने भारी विरोध किया, लेकिन सब व्यर्थ साबित हुआ।

इस मामले के कई नाटकीय मोड़ों और जिस तेजी के साथ इसे अंजाम दिया गया, उसने देश को स्तब्ध कर दिया। इससे पहले, कश्मीर गोपनीयता के अंतर्गत शामिल था। जम्मू और कश्मीर के मामले से पहले सरकार ने अमरनाथ यात्रा के साथ-साथ अन्य यात्राओं और इसी तरह की सभी गतिविधियों को समय से पहले बंद कर दिया था। सभी गैर-जम्मू-कश्मीर कर्मियों को राज्य छोड़ने के लिए कहा गया। इंटरनेट सहित बाहरी दुनिया के साथ सभी संचार को बंद कर दिया गया। लाखों की संख्या में अर्धसैनिक बलों को कश्मीर घाटी में तैनात किया गया, जो अभी भी कायम है।

एक गिरावट

जम्मू और कश्मीर की स्थिति को कुछ विधायी शक्तियों के साथ एक रियासत (जो 1846 से 1947 तक अंग्रेजों के संरक्षण के सहारे था) से केंद्रशासित प्रदेश में बदलना एक गिरावट को दर्शाता है। संविधान के अनुच्छेद-370 में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने के लिए कोई विशेष परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया गया था। अनुच्छेद-35A इस कदम की पहली दुर्घटना थी। इस मामले पर पहले से ही निर्णय लिया जा चुका था। बस जो नहीं बताया गया वो इस तरह के कदम उठाने की आवश्यकता थी। प्रधानमंत्री ने अपने इस निर्णय को 'ऐतिहासिक' और जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के लिए एक नई शुरुआत के रूप में प्रदर्शित किया। भारत के साथ जम्मू-कश्मीर के एकीकरण को पूरा करने के लिए और भी कई कदम उठाए गए हैं, ताकि कश्मीर को एक 'पिछड़ी हुई सभ्यता' से आधुनिक राज्य में परिवर्तित किया जा सके।

वर्तमान में लिए गये इस निर्णय के बाद से यह उम्मीद करना कि जम्मू और कश्मीर में 'सब ठीक है' एक बड़ी गलती साबित होगी। राष्ट्र को एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कई और अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। आज, साम्यवाद 20वीं शताब्दी में जो कुछ भी था, उसकी बस एक हल्की झलक ही रह गयी है। मानवतावाद खतरे में है। उदारवादी विचार हर तरफ से हो रहे हमलों का सामना करने पर मजबूर हैं। राष्ट्रवाद प्रमुख अनिवार्यता बन गयी है और यह कई रंगों एवं आकारों में प्रतीत होने लगा है। भारत एक पंथ के रूप में राष्ट्रवाद को अपनाने के लिए धीमा था, लेकिन अब प्रमुखता और तेजी के साथ राष्ट्रवाद की ओर झुक रहा है। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या इससे भारत की 'विविधता' कमजोर होगी, जिसे अब तक हमारे देश की सबसे बड़ी खूबी के रूप में देखा जाता था।

संघीय अनिवार्यता

कई लोगों के समूह में तात्कालिक चिंता, जिसे भले ही इस समय सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं किया जा रहा है, यह है कि क्या संविधान में निहित अन्य 'वादों' को ताकतवर 'बहुमत वाले राष्ट्रवाद' के तहत विलोपित किया जाएगा क्योंकि सत्तारूढ़ दल के पास संसद में भारी बहुमत है। अनुच्छेद-370 (जिसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर की स्वायत्त स्थिति की रक्षा करना है) जैसी संवैधानिक गारंटी के अवगुण जो भी हों, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह न केवल कश्मीर की विविधता को समायोजित करने के लिए था, बल्कि परिग्रहण के समय मौजूदा परिस्थितियों को पूरा करने के लिए भी था। समय के साथ, इसने (370) भारतीय संघ के भीतर जम्मू-कश्मीर की स्थिति के बारे में दुनिया की अटकलों से भारत को निपटने में मदद् की।

हमें यह मानना होगा कि भारत के संघीय ढांचे के दोहरे चरित्र का संरक्षण कई समझौतों को प्रभावित करता है। हमें यह भी पहचानने की जरूरत है कि जिस तरह से भारत अतीत में इस तरह की विषमता से निपटा था, उसने भारत और भारतीय संविधान को दुनिया के बाकी हिस्सों से ईर्ष्या का पात्र बना दिया है। भारतीय संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद ने भारत के विविध और दोहरे संघवाद को बनाए रखने में एक उपयुक्त भूमिका निभाई है।

आने वाले दिनों में हमारी चिंता भले ही अनुच्छेद-370 और अनुच्छेद 35A के हटाये जाने पर केन्द्रित न हो और कश्मीर की बची-खुची स्वायत्तता पर प्रहार भी न हो, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिनसे भारत को जूझना पड़ सकता है।

वर्तमान में, कश्मीर में बदलाव के तरीके की आलोचना की जा सकती है। कश्मीर के भीतर, कई रहस्यों के अंतर्गत, नई दिल्ली के प्रति गुस्से की गहराई और दुश्मनी की सीमा का अनुमान लगाना मुश्किल है। जब मौजूदा उपायों में ढील दी जाती है, तो राज्य में हिंसा की पुनरावृत्ति की उम्मीद की जा सकती है।

वैश्विक प्रतिक्रियाएं और सबक

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत द्वारा कश्मीर के संदर्भ में उठाए गए कदम की आवश्यकता के कारणों को आसानी से स्वीकार कर लिया जायेगा, इसकी संभावना बहुत कम है।

पहले से ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के कार्यों की आलोचनात्मक आवाजें सुनी जाने लगी हैं। चीन ने 12 अगस्त को भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर को अपने विचार स्पष्ट करते हुए उनके इस तर्क को खारिज कर दिया कि जम्मू-कश्मीर का विभाजन और अनुच्छेद-370 का निराकरण भारत के आंतरिक मामले में था। इसके अलावा, चीन ने श्री जयशंकर की इस चेतावनी पर भी ध्यान नहीं दिया कि 'भारत-चीन संबंध का भविष्य आपसी संवेदनशीलता पर निर्भर करेगा।'

ऐसी भी संभावना है कि दुनिया भर के अधिकांश राष्ट्र एक सुर लगाए और कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि जब इस मुद्दे पर जोर दिया जायेगा, तो भारत दूसरे और तीसरे विश्व के देशों से अलग नहीं है, जो स्वयं ही अपने नियमों को बनाते और तोड़ते हैं। इसलिए, एक बार फिर से भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर के मामले में अपने द्वारा उठाये गये कदमों का बचाव करने के दौरान खुद को अलग-थलग पा सकता है।

वर्तमान परिदृश्य में, भारत के नीति-निर्माताओं को इतिहास में घटित हुई घटनाओं से सबक लेते हुए उपयुक्त उपायों का पता लगाना होगा। अगर हम इतिहास से सबक सीखने की बात करें, तो सबसे पहली घटना जो ध्यान में आती है, वह 1990 के दशक में बोस्निया को तबाह कर देने वाला संकट है, युगोस्लाविया के अलग-थलग होने की घटना है और 1945 के बाद कम्युनिस्ट व्यवस्था का पतन है। अलग-थलग होने से पहले, मुस्लिम, सर्ब और क्रोट मिश्रित समुदायों में यथोचित रूप से रहते थे। जैसे-जैसे युद्ध तेज हुआ, विभिन्न समुदायों के बीच झड़पें बढ़ने लगी।

कई देशों द्वारा अपने-अपने समूहों का समर्थन करने के लिए हथियारों की आपूर्ति करने की घटना काफी बढ़ गयी। मिसाल के तौर पर, पाकिस्तान उन देशों में से एक था, जिसने हथियारों की आपूर्ति पर मौजूदा संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध को नजरंदाज करते हुए बोस्नियाई मुस्लिमों को मिसाइलें प्रदान की थीं। यह आगे चलकर इतिहास के सबसे खराब नरसंहारों में से एक बन गया था। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह का कुछ भी हमारे देश में न हो।

क्षेत्रीय चिंताएं

हमें यह भी महसूस करना चाहिए कि इस समय हमारे क्षेत्र में भू-राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से हमारे पक्ष में नहीं है। अफगानिस्तान में शतियों के प्रदर्शन, इस तथ्य के साथ कि अफगानिस्तान की समस्याओं से निपटने के लिए भारत को वार्ता से बाहर रखा गया है तथा पाकिस्तान और चीन इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, ने भारत को पहले से ही एक चेतावानी दे दी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक स्वीकृति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली है, विशेष रूप से अमेरिका के साथ-साथ चीन और पाकिस्तान के बीच सांठगांठ ने, जो कुछ भी हो, लेकिन मजबूत गठबंधन है।

इसलिए, अब इसकी संभावना बढ़ जाती है कि पाकिस्तान और चीन संयुक्त रूप से कश्मीर को पाने के लिए संयुक्त प्रयास कर सकते हैं। पाकिस्तान निश्चित रूप से आतंकी हमले को बढ़ाने और कश्मीर के अंदर स्थानीय भावनाओं को भड़काने का प्रयास करेगा। चीन, जो पहले से ही एक "बढ़ते राष्ट्रवादी भारत" के बारे में चिंतित है, के क्षेत्र में भारत के प्रभाव को कमजोर करने के उद्देश्य से, अधिक उग्र रणनीति अपना सकता है। हम यह जानते हैं कि चीन दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्तियों में से एक है और यह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बढ़ती स्वीकृति के साथ, सीमा और हिंद महासागर क्षेत्र दोनों पर ही भारत पर दबाव बनाने कि पूरी कोशिश करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की जटिल प्रकृति को देखते हुए, भारत को भी इस मुद्दे पर सावधान रहना होगा कि कैसे कश्मीर में स्थिति कट्टरपंथी इस्लाम को स्थिति का फायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यूरोप और एशिया दोनों में, व्यापक चिंताएं मौजूद हैं कि कट्टरपंथी इस्लामी विचार और अवधारणाएं संघर्ष की स्थितियों में अधिक पनपते हैं। विशेषज्ञ ऐसी स्थितियों में निहित खतरों के प्रति आगाह करते हुए यह राय देते हैं कि सकारात्मक परिणामों को प्राप्त करने के लिए अधिक सतर्कता और विविध नीतियों की आवश्यकता है। आशा है कि भारत में नीति निर्माता इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए बेहतर कार्य करेंगे।

अंत में, अनुच्छेद-35A को हटाने का परिणाम कश्मीर में जनसांख्यिकीय "अतिक्रमण" नहीं होना चाहिए, जहाँ बाहरी लोग "कश्मीर" में बसने का सोच रहे हैं। यह काफी विपरीत परिणाम दे सकता है। यह पूरे पूर्वोत्तर में भी भय पैदा कर सकता है, भले ही अनुच्छेद-371 अभी भी वहाँ मौजूद है। संक्षेप में, अधिकारियों को भाषा के मुद्दे सहित कई अन्य क्षेत्रों में भी 'शक्ति का गलत उपयोग' करने से बचना चाहिए।

GS World टीम...

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019

चर्चा में क्यों?

- जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 को 5 अगस्त, 2019 को गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था।
- विधेयक में जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश तथा लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश में पुनर्गठित करने का प्रावधान है।
- इस बिल के तहत जहाँ राज्य से अनुच्छेद-370 की समाप्ति होगी, वहीं जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विखंडित किया जायेगा।

किये गये प्रावधान

- विधेयक जम्मू और कश्मीर राज्य को पुनर्गठित करता है: (i) जम्मू और कश्मीर का केंद्रशासित प्रदेश एक विधायिका के साथ और (ii) बिना विधायिका के केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख।
- केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में कारगिल और लेह जिले शामिल होंगे तथा जम्मू और कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश में जम्मू और कश्मीर राज्य के शेष क्षेत्र शामिल होंगे।
- **लेफ्टिनेंट गवर्नर:** जम्मू और कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से प्रशासित किया जाएगा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल निभायेगा।

- केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल के माध्यम से किया जाएगा।
- **जम्मू और कश्मीर की विधान सभा:** विधेयक में केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए एक विधान सभा का प्रावधान है। विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 107 होगी। इनमें से 24 सीटें जम्मू और कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में पाकिस्तान के कब्जे में रहने के कारण खाली रहेंगी।
- इसके अलावा, केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में उनकी आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित होंगी।
- इसके अलावा, उपराज्यपाल महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए विधानसभा में दो सदस्यों को नामित कर सकते हैं, यदि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- विधानसभा का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा और उपराज्यपाल को छह महीने में कम से कम एक बार विधानसभा को बुलाना होगा।
- **मंत्रिपरिषद्:** केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के दस प्रतिशत से अधिक सदस्यों की एक परिषद् नहीं होगी।
- काउंसिल सहयोगी और उपराज्यपाल को उन मामलों पर सलाह देगी जो कानून बनाने के लिए विधानसभा के पास हैं। मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल को परिषद् के सभी निर्णयों की जानकारी देंगे।
- **उच्च न्यायालय:** जम्मू और कश्मीर का उच्च न्यायालय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तथा जम्मू और कश्मीर के लिए एक ही होगा।
- इसके अलावा, केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करने के लिए एक एडवोकेट जनरल होगा।
- **विधान परिषद्:** जम्मू और कश्मीर राज्य की विधान परिषद् को समाप्त कर दिया जाएगा। विघटन होने पर, परिषद् में लंबित सभी विधेयकों में कमी आएगी।
- **सलाहकारी समितियां:** केंद्र सरकार विभिन्न उद्देश्यों के लिए सलाहकारी समितियों की नियुक्ति करेगी, जिनमें शामिल हैं: (i) दो केंद्रशासित प्रदेशों के बीच जम्मू और कश्मीर राज्य के निगमों की संपत्ति और देनदारियों का वितरण, (ii) उत्पादन और आपूर्ति से संबंधित मुद्दे बिजली और पानी तथा (iii) जम्मू और कश्मीर राज्य वित्तीय निगम से संबंधित मुद्दे।
- इन समितियों को छह महीने के भीतर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को अपनी रिपोर्ट देनी होगी, जिन्हें 30 दिनों के भीतर इन सिफारिशों पर कार्रवाई करनी चाहिए।
- **कानूनों की सीमा:** अनुसूची में 106 केंद्रीय कानूनों को सूचीबद्ध किया गया है, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेशों के लिए लागू किए जाएंगे।
- इनमें आधार अधिनियम, 2016, भारतीय दंड संहिता, 1860 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 शामिल हैं। इसके अलावा, यह जम्मू और कश्मीर के 153 राज्यों के कानूनों को खत्म करता है।
- इसके अलावा, 166 राज्य कानून लागू रहेंगे और सात कानून संशोधनों के साथ लागू होंगे। इन संशोधनों में भूमि के पट्टे पर उन लोगों के लिए प्रतिबंधों को खत्म करना शामिल है, जो जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासी नहीं हैं।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

   1. अनुच्छेद-370 हटने से भारतीय संविधान के अनुच्छेद-1 के तहत जम्मू-कश्मीर भारत का एक पूर्ण राज्य बन गया है।
   2. इस अनुच्छेद के हटने से अब भारत में 28 राज्य और 9 केन्द्रशासित प्रदेश हो गये हैं।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Consider the following statements -**

   1. After the abolishment of article- 370, Jammu & Kashmir has become a full state of India under article-1 of the Indian Consitution.
   2. After the abolishment of article- 370, India now have 28 states and 9 Union Territories

   Which of the above statements is/are incorrect?

   (a) Only 1 (b) Only 2

   (c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: क्या भारत द्वारा अनुच्छेद-370 और 35A को खत्म करना भारत की बढ़ती राष्ट्रवादी भावना को इंगित करता है? भारत के इस फैसले से भविष्य में देश की सुरक्षा को लेकर क्या-क्या चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं? चर्चा कीजिए। **(250 शब्द)**

Q. Does the abolishment of article-370 and article-35A by India indiacate the increasing nationalist ideology? What challenges can originate in the future regarding the security of the country from this decision of India? Discuss. **(250Words)**

नोट : 20 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (c) होगा।